सिंचाई विभाग

जन संचार एवं मीडिया प्रकोष्ठ
उ0प्र0 वॉटर सैक्टर रीस्ट्रक्चरिंग परियोजना, पैक्ट
वाल्मी भवन, सिंचाई विभाग,
उत्तर प्रदेश

सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग में ई–प्रोक्योरमेंट/ई–टेण्डरिंग प्रणाली लागू की गयी

लखनऊ : दिनांक– 13 अक्टूबर, 2017

सिंचाई, सिंचाई (यांत्रिक) मंत्री श्री धर्मपाल सिंह के निर्देश निविदा प्रक्रिया को निर्बाधित एवं पारदर्शी बनाने तथा अनावश्यक रुप से होने वाले विलम्ब को रोकने के लिए सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग में ई–प्रोक्योरमेंट/ई–टेण्डरिंग तत्काल प्रणाली को प्रभाव से लागू कर दिया गया है।

यह जानकारी देते हुए विभाग के प्रमुख सचिव श्री सुरेश चन्द्रा ने बताया कि असामाजिक तत्वों की रोकथाम करने व निविद प्रक्रिया को सम्पन्न कराने के लिए यह निर्णय लिया गया है। उन्होंने बताया कि ई–टेण्डरिंग के समय निविदादाताओं द्वारा निर्धारित प्रपत्रों के अतिरिक्त मूल अभिलेखों की स्कैन कापी व प्रतिभूति पत्र–विभाग के नाम बंधक कराने पर प्राप्त ट्रांजैक्शन न0 को भी निविदा के समय वेबसाइट पर डाली जाएगी।

श्री चन्द्रा ने बताया कि निविदा स्वीकार होने पर मूल अभिलेख व्यक्तिगत रुप से विभाग को निविदादाताओं द्वारा प्रस्तुत किया जाएगा। उन्होंने बताया कि निविदा स्वीकार होने के उपरान्त निविदादाता द्वारा प्रतिभूमि धनराशि मूल रुप से प्रस्तुत नहीं करने पर निविदादाता के विरुद्ध वाद दायर कर कानूनी कार्यवाही की जाएगी तथा उसका रजिस्ट्रेशन निरस्त कर काली सूची में डाल दिया जाएगा।

श्री चन्द्रा ने बताया कि इससे सम्बंधित शासनादेश सभी मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी, सभी वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक, सभी प्रमुख अभियंता/मुख्य अभियंता, समस्त अधीक्षण अभियंता/अधिशासी अभियंता तथा सभी सम्बंधित विभाग को सूचनार्थ प्रेषित कर दिया गया है।

सम्पर्क सूत्रः मीडिया विशेषज्ञ, पैक्ट मो0–9412205971
email-isbr27@gmail.com ***फैक्स 0522–2237664***